

प्रथम पत्रक

न्यायालय नीलाम पत्र पदाधिकारी, जरीडीह जिला - बोकारो।

नीलाम पत्र मुकदमा सं० - 64/22-23

बैंक ऑफ इंडिया, जैनमोड़

सर्टिफिकेट होल्डर

श्री कस्तुर आलम

बनाम

सर्टिफिकेट डेब्टर

अनुसूची - 14 फारम सं० - 563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
10.02.23	प्रबंधक सह अधिवानी पदाधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया, जैनमोड़ के द्वारा देनदार श्री कस्तुर आलम पिरा श्री हालिम सिद्दीकी आप + पौ - जैनमोड़, थाना - जरीडीह, जिला - बोकारो जिला बोकारो के विरुद्ध बकाया राशि 36106/- रुपये वसूली हेतु पी0डी0आर0 एक्ट के तहत प्रपत्र 2 में अधियाचना पत्र दाखिल किया है। साथ ही कार्ट फी 3202/- रुपया दाखिल किया है। जिसकी विवरणी निम्न है 32904 + 3202 = 36106 = 00 अधियाचना पत्र परिपूर्ण है। बकाया राशि देनदार से वसूली योग्य है। अतः देनदार को धारा 7 पी0डी0आर0 एक्ट के अधीन विधीयत सूचना निर्गत करे। अभिलेख दिनांक 24/02/23 को उपस्थापित करे। नीलाम पत्र पदाधिकारी, जरीडीह।	आदेश पर संलग्न (1) फॉरफॉ-1 (2) फॉरफॉ-1 (3) चेक सिल्ट (4) कोर्ट एफिडेडिफ 24/02/23
24.02.23	अभिलेख उपस्थापित। उपय पत्र अनुपस्थित। सुनवाई की अगली तिथि 17/03/2023 को निर्धारित की जा रही है। नीलाम पत्र पदाधिकारी जरीडीह।	

17-3-2023

अभिलेख उप-स्थापित ।

देवदार-कुतुबखाना पुनः नोबिसा निर्मित करें।

अभिलेख दिनांक 31/03 को उप-स्थापित करें।

निलाम पर पदाधिकारी
जरीडीह

30/03/23
31/03/23

अभिलेख उप-स्थापित ।

कार्यालय कार्यालय में व्यवस्था के कारण
नोबिस निर्माण नहीं हो सका। पुनः नोबिसा निर्माण
करने हुए अभिलेख दिनांक को उप-स्थापित
करें।

निलाम पर पदाधिकारी
जरीडीह

21/06/24 अभिलेख उप-स्थापित ।

शाखा प्रबंधक, B.O.I, जेनामोह ने लिखित कक्ष में
प्रमाणित कि, भूख की राशि अर्थात: वसूल होकर भूख खाता
बन्द कर दी गयी है। Certificate holder के प्रतिवेदन के आधार
पर Certificate case समाप्त की जाती है।

निलाम पर पदाधिकारी
जरीडीह